# सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर—272202 उ0प्र0 (भारत)
Email Id: registrar@suksn.edu.in, Website : www.suksn.edu.in


पत्रांक— 422 / कु0स0का0 / सि0वि0वि0 / 2026, दिनांक— 18—06—2026

**सेवा में,**

**प्राचार्य / प्राचार्या,**
**समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,**
**सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।**

**विषय— उ0प्र0 बी0एड0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण (Internship) कार्यक्रम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग—7, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या—I / 1366870 / 2026 / सत्तर—7—2026 दिनांक 17—06—2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। (पत्र संलग्न) जिसके द्वारा शासन के पत्र दिनांक 30—04—2026 के द्वारा NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 में विहित व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश बी0एड0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण (Internship) कार्यक्रम हेतु कुल 20 सप्ताह (बी0एड0 प्रथम वर्ष में 04 सप्ताह तथा द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह) का प्रशिक्षण (Internship) कार्यक्रम लागू किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि संलग्न पत्र में दिये गये दिशा—निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

18/06/26

**कुलसचिव**
**सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,**
**सिद्धार्थनगर।**

पत्रांक— / तद्दिनांकित।

**प्रतिलिपि—** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. परीक्षा नियंत्रक, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।
2. निजी सचिव, कुलपति मा0 कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
3. सम्बन्धित पत्रावली हेतु।

**कुलसचिव**
**सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,**
**सिद्धार्थनगर।**

**शुद्धि-पत्र**

**संख्या-I/1366870/2026/सत्तर-7-2026**

**प्रेषक**,

शकील अहमद सिद्दीकी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में**,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज।

**उच्च शिक्षा अनुभाग-7** **लखनऊः दिनांक 17-06-2026**

**विषयः** उत्तर प्रदेश बी0एड0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण (Internship) कार्यक्रम लागू किये जाने के संबंध में।

**महोदय**,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-I/1314173/2026/सत्तर-7-2026, दिनांक 30.04.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014 में विहित व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश बी0एड0 पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण (Internship) कार्यक्रम हेतु कुल 20 सप्ताह (बी0एड0 प्रथम वर्ष में 04 सप्ताह तथा द्वितीय वर्ष में 16 सप्ताह) का प्रशिक्षण (Internship) कार्यक्रम लागू किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने निर्देश दिए गए हैं।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 30.04.2026 के प्रस्तर-3 में "जनपद के ऐसे सभी **बी0टी0सी0 कॉलेज** अपने छात्र छात्राओं की सूची समय से जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को उपलब्ध करायेंगे" का उल्लेख त्रुटिवश हो गया है।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **"जनपद के ऐसे सभी बी0टी0सी0 कॉलेज अपने छात्र छात्राओं की सूची समय से जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को उपलब्ध करायेंगे"** के स्थान पर **"जनपद के ऐसे सभी बी0एड0 कॉलेज अपने छात्र छात्राओं की सूची समय से जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को उपलब्ध करायेंगे"** पढ़ा जाय। उक्त शासनादेश के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे। शासनादेश दिनांक 30.04.2026 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

Digitally signed by
SHAKIL AHMAD SIDDIQUI
Date: 17-06-2026
11:17:55

भवदीय,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
संयुक्त सचिव

**संख्या एवं दिनांक तदैव :**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
4- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
6- क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्रीय समिति(NRC) NCTE जयपुर।
7- कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
10- निदेशक, (पी0एम0-उषा) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11- प्राचार्य, समस्त बी0एड0 शिक्षक-शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश।
12- विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
शकील अहमद सिद्दीकी
संयुक्त सचिव